न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / सीलिंग / 785 / 2000 / श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

...अपीलान्ट

बनाम

1– रावताराम पुत्र पूरन (मृतक) जरिये वारिसानः–
1 / 1 मोमनराम पुत्र रावताराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
1 / 1 / 1 श्रीमती रामप्यारी बेवाा मोमनराम
1 / 1 / 2 बलवीर पुत्र मोमनराम
1 / 1 / 3 जगदीश पुत्र मोमनराम
1 / 1 / 4 कमला पुत्री मोमनराम
1 / 1 / 5 रामेश्वरी पुत्री मोमनराम
1 / 1 / 6 सुमित्रा पुत्री मोमनराम
1 / 1 / 7 विमला पुत्री मोमनराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम फतूही तहसील व जिला गंगानगर।
1 / 1 / 8 सुलतान पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी 22 एसएसडब्लू पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2– मनीराम पुत्र रावताराम (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः–
2 / 1 बाधूदेवी पत्नी मनीराम
2 / 2 ओमप्रकाश पुत्र मनीराम
2 / 3 सावित्री पुत्री मनीराम
2 / 4 कलावती पुत्री मनीराम
2 / 5 राजो पुत्री मनीराम
2 / 6 बलवन्त पुत्र मनीराम
2 / 7 महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम
3– सुपारीदेवी पुत्री रावताराम
4– उमा पुत्री रावताराम
समस्त जाति जाट निवासी 1 एफ बड़ा व 1 ई बड़ी ग्राम शिवपुरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2– राजस्थान सरकार

...रेस्पोन्डेन्ट्स

एकल पीठ
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थितः–
श्रीमती पूनम माथुर, अति. राज. अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से ।
रेस्पोन्डेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

———

दिनांकः 11–2–2021

निर्णय

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 23(2)ए राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के विरूद्ध निर्णय दिनांक 14–3–2000 जो की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 14/1991 में पारित किया।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी रावताराम व उसके जायज वारिसान के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण संख्या 73/71 (पुराना कानून) निर्णय दिनांक 8—6—1974 से निर्णित किया गया जिसे राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के तहत राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक एफ 1(1902)राज/सी/537 दिनांक 18—6—1983 द्वारा पुनः खोला जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्री गंगानगर को प्रेषित किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा निर्णय दिनांक 11—1—1988 पारित किया जाकर अप्रार्थी की 38.05 बीघा भूमि अधिशेष घोषित कर राज्य हक में कब्जा लिये जाने के आदेश पारित किये गये। अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 11—1—1988 के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में चुर्नाती दी गई। राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15—5—1991 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) का निर्णय अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण पर पुनः निर्णय दिनांक 14—3—2000 पारित करते हुए कोई भी भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं मानते हुए सीलिंग कार्यवाही समाप्त कर दी जिससे व्यथित होकर राज्य सरकार द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— हमने अति. राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

4— विद्वान अति. राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अप्रार्थी रावताराम का निधन वर्ष 1966 में नही हुआ था। उनका यह भी तर्क है कि अप्रार्थी रावता राम के निर्धारित तिथि को दो बालिग पुत्र मोमनराम व मनीराम थे जो कि रावताराम पर आश्रित नहीं थे। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि रावताराम के परिवार के सदस्यों की संख्या अलग अलग जगह भिन्न भिन्न बताई गई जबकि उनके परिवार के सदस्यों की संख्या का सही आकलन किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक पृष्ठ में पारित किया गया है जो कि विधिक निर्णय की परिभाषा में नही आता है। अतः प्रकरण प्रतिप्रेषित कर अधीनस्थ न्यायालय को विस्तृत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

5— हमनें राज्य सरकार की ओर से अति. राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15—5—1991 में अवधारित किया है कि रावताराम की मृत्यु 1—4—1966 के पहले ही हो गई थी इसलिए उसके नाम कोई असेसमेन्ट अलग से नहीं किया जा

सकता था, रावताराम की भूमि उसके पुत्रों में बंटी उसका असेसमेन्ट उनके पुत्रों की भूमि के साथ किया जा सकता था। 1–4–1966 को सभी भाई अलग अलग थे और इनके पिता जीवित नहीं थे इसलिए इन सभी भाईयों की भूमि का अलग अलग असेसमेन्ट किया जाना चाहिए था। रावताराम के पास 45–13 बीघा नहरी भूमि, मोमनराम के पास 37–19 बीघा नहरी व 14 बीघा बारानी तथा मनीराम के पास 37–19 नहरी व 14 बीघा बारानी भूमि थी। मोमनराम व मनीराम के पास 1–4–1966 को सीलिंग सीमा से कम रकबा था। तत्पश्चात् तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार की नवीनतम रिपोर्ट दिनांक 27–1–1996 से रावताराम दिनांक 1–4–1966 को 86 वर्ष का तथा रावताराम के पुत्रों की आयु 1–4–1966 को 42 व 36 वर्ष होना अंकित किया गया। ऐसी स्थिति में जिस आधार पर राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 15–5–1991 से प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था, वह परिवर्तित हो जाने से प्राधिकृत अधिकारी ने 1–4–1966 को रावताराम के जीवित रहने तथा मृत होने दोनों ही स्थितियों में रावताराम की भूमि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधित अधिकतम जोत सीमा से कम माना है। दिनांक 1–4–1966 को रावताराम के पुत्रों का बालिग होना तथा अलग अलग पारिवारिक इकाई में होना अभिलेख से स्पष्ट है अतः उनको रावताराम पर आश्रित होना नहीं मानते हुए दोनों पुत्र मोमनराम व मनीराम की भूमि को रावताराम की भूमि के साथ सही तौर पर नहीं जोड़ा गया है। इस प्रकार दिनांक 1–4–1966 को रावताराम के पास 45–13 बीघा भूमि थी जो सीलिंग सीमा से कम थी। साथ ही रावताराम के पुत्रों के पास भी सीलिंग सीमा से कम भूमि है। इस प्रकार अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं होने से अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 14–3–2000 में कोई विसंगति नहीं पाते है। अतः हस्तगत प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

8– परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–3–2000 बहाल रखा जाता है।

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य